UNIVERSITY ROLL NO - 160105127194
REGISTRATION NO - KU1722344
CLASS ROLL NO - 220
NAME - SUNNY KUMAR

Date ______
Page ______

CC - 11

Q1 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को परिभाषित करें। इसके महत्व को बताते हुए इसकी प्रकृति एवं विषय वस्तु की विवेचना करें ?

उत्तर - अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक विकासोन्मुख विषय है और इसलिए ही इसके अर्थ को लेकर विद्वानों में बड़ा मतभेद है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप को समझने के लिए सर्वप्रथम "राजनीति" शब्द के अर्थ को समझना आवश्यक है। यह शब्द मूलतः संस्कृत भाषा का है। इसमें इसका अर्थ राजा की नीति है, किन्तु वर्तमान संदर्भ में इस शब्द का जिस अर्थ में प्रयोग होता है वह इससे भिन्न और अधिक व्यापक है।

परिभाषाएं :-

रॉबर्ट ने राजनीति की परिभाषा करते हुए लिखा है कि "मानव समुदायों के ऊपर शासन करने की कला को ही राजनीति कहते हैं। शासन से उसका अभिप्राय है - आदेश देने और नियंत्रण कायम करने से संबंधित प्रक्रियाएं। उसके मतानुसार पॉलिटिक्स का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है। परिवार, चर्च, ट्रेड यूनियन, फर्म तथा अन्य संघों और समुदाय के भीतर चलने वाली प्रतिस्पर्धा को भी उसके राजनीति का ही रूप दिया जाता है।

Scanned by CamScanner

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा को लेकर विद्वानों में काफी मतभेद है। कतिपय प्रमुख लेखकों द्वारा उपयुक्त परिभाषाएं यहाँ प्रस्तुत की जा रही हैं, —

स्प्राउट के अनुसार — "स्वतन्त्र राजनीतिक समुदायों अर्थात राज्यों के अपने - अपने उद्देश्यों अथवा हितों के आपसी विरोध प्रतिरोध या संघर्ष से उत्पन्न उनकी क्रिया - प्रतिक्रिया और संबंधों का अध्ययन ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति है।

चार्ल्स श्लाइचर के अनुसार - राज्यों के सभी अन्तर्राष्ट्रीय संबंध राजनीति में शामिल किये जा सकते हैं यद्यपि वे यह मानते हैं कि सभी अन्तर्राष्ट्रीय संबंध राजनीतिक नहीं होते।

जेम्स रोजनाऊ के अनुसार — अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उपखण्ड है।

थाम्पसन के अनुसार — राष्ट्रों के बीच किन्ही प्रतिस्पर्धाओं के साथ - साथ उनके पारस्परिक सम्बन्धों को सुधारने या बिगड़ने वाली परिस्थितियों और संस्थाओं के अध्ययन को अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र या आयाम

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अर्थ और स्वरूप से

से इसके क्षेत्र का आभास मिल चुका है। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन क्षेत्र मे विचारधारा और राष्ट्रीयता प्रमुख है। विचारधारा आज की अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख सूत्रधारों मे से है। साम्यवाद, लोकतन्त्र, वैयक्तिक स्वतंत्रता आदि विचारधाराए अपने आप में प्रबल शक्तिया है। और अन्तर्राष्ट्रीय गतिविधियों की प्रेरक है। अफ्रीका और एशिया की राजनीति बहुत कुछ राष्ट्रीयता की राजनीति है जिसका सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव पड़ता है।

अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाए और उनसे संबंधित उपसंस्थाए भी अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के मुख्य विषय है। संयुक्त राष्ट्र संघ और उससे संबंधित अनेक संस्थाओं का विश्व राजनीति के क्षेत्र और साधन दोनो रूप मे अपना स्थान है।

शान्ति और युद्ध जैसे विषय अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन की परिधि मे अपने आप समाविष्ट हो जाते है। जब संघर्ष ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति का मूल है तो युद्ध की संभावना से इन्कार नही किया जा सकता है। शान्ति और युद्ध से संबंधित विभिन्न समस्याए, प्रेरक शक्तिया आदि स्वतः ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय सामग्री बन जाती है।

सन 1947 ई० मे विदेशी मामलो की परिषद ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसमे सर्वेक्षण सर्वेक्षण के आधार पर ग्रेसन

Scanned by CamScanner

कर्क ने अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की विषयवस्तु में निम्नलिखित पाँच तत्वों का अध्ययन आवश्यक बताया था।

(1) राज्यव्यवस्था के स्वरूप और उसकी कार्यप्रणाली का अध्ययन।

(2) राज्य की शक्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन

(3) अंतर्राष्ट्रीय स्थिति तथा महाशक्तियों की विदेश नीति का अध्ययन

(4) वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास का अध्ययन

(5) अधिक स्थायित्व वाली विश्व व्यवस्था के निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन।

Q2. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी उपागम का आलोचनात्मक विश्लेषण करें?

उत्तर:- आदर्शवादी उपागम के प्रतिक्रिया स्वरूप यथार्थवादी उपागम की उत्पत्ति हुई वैसे तो 18वीं और 19वीं शताब्दी में ही इसकी चर्चा हुई थी और मेकियावेली का समस्त राजनीतिक दर्शन इससे ओत-प्रोत है किन्तु वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसके उपागम का पुनरुत्थान द्वितीय महायुद्ध के बाद विशेष रूप से हुआ।

यथार्थवादी दृष्टिकोण की यह दृढ़ मान्यता है कि शक्ति, शस्त्र और युद्ध मानव स्वभाव की विशेषताएं हैं। यह विचारों का एक ऐसा समूह है जो सुरक्षा और

Date ______
Page ______

शक्ति के कारकों को ही अपनी चिन्तन सामग्री मानता है। इसके समर्थकों की यह प्रबल धारणा है कि राष्ट्रों के बीच परस्पर विरोध और संघर्ष किसी न किसी रूप में सदा ही विद्यमान रहता है। यह स्थिति शाश्वत नियम के रूप में विद्यमान है और कोई आकस्मिक घटना अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में घटित नहीं होती।

यथार्थवादी के अनुसार तथ्यों के उचित मूल्यांकन के उपरान्त उनमें तर्कसंगत अर्थों को ढूंढने की यह प्रक्रिया है। किसी भी राष्ट्रों की विदेश नीति का पूर्वाभास उस राज्य के राजनीतिक गतिविधियों क्रिया कलापों तथा घटना क्रम के विश्लेषण से सम्भव है किन्तु केवल तथ्यों का विश्लेषण ही पर्याप्त नहीं है। राष्ट्र की शक्ति का अभिवृद्धि ही उसके हितों को सुरक्षित करने एवं उसे पूर्ण करने का एकमात्र साधन है। शक्ति एवं हित साधन के आधार पर ही राजनीति की वास्तविकताओं को समझा जा सकता है। नैतिक सिद्धांतों एवं भावनात्मक मान्यताओं के आधार पर नहीं। मार्गेन्थाओ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रत्येक राजनीति की भांति शक्ति संघर्ष है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंतिम लक्ष्य चाहे जो कुछ भी हो तात्कालिक उद्देश्य सर्वदा शक्ति ही रहता है। वास्तव में राष्ट्रीय हित और शक्ति ही अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के केन्द्र बिन्दु है।

Scanned by CamScanner

आलोचना —

अनेक विद्वानो ने यथार्थवादी उपागम की आलोचना मुख्य रूप से इन आधारो पर की है।

(1) यथार्थवादी दृष्टिकोण के आधार पर शक्ति राष्ट्रीय हित संघर्ष सत्ता और अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के निर्णायक तत्व है। किन्तु यह एकपक्षीय एवं एकांगी दृष्टिकोण है, यह सम्पूर्ण पक्ष का प्रतिपादन नहीं करता है।

(2) इस उपागम मे अनेक विसंगतियां है शक्ति अथवा सत्ता को परिभाषित नहीं किया जा सकता। राज्य की शक्ति कितनी है और क्या है इसे मापना भी अत्यंत दुरूह है। यह क्रियाओ एवं प्रतिक्रियाओ के परिणाम होते है तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे केवल संघर्ष ही नही होते बल्कि सहयोग भी होते है।

(3) यथार्थवाद शक्ति, संघर्ष की अनिवार्यता पर तो अधिक बल देता है। किन्तु इस क्षेत्र मे साधनो तथा उद्देश्यो जैसे प्रश्नो के प्रति उदासीन हो जाता है।

(4) ऐसा प्रतीत होता है कि यथार्थवादी केवल राष्ट्रीय शक्ति की अभिवृद्धि के प्रति ही अधिक जागरूक है और इसलिए उनका दृष्टिकोण शान्ति विरोधी माना जाता है।

Scanned by CamScanner

Date ______
Page ______

Q3. राष्ट्रीय हित क्या है? इसके कितने प्रकार है? राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के साधनों का विस्तार पूर्वक उल्लेख करें।

उत्तर :- राष्ट्रीय हित अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की एक आधारभूत धारणा है। राष्ट्र सदा अपने राष्ट्रीय हितो के उद्देश्यो को पूरा करने की प्रक्रिया मे संलिप्त रहते है। प्रत्येक राज्य की विदेश नीति उसके राष्ट्रीय हितो के आधार पर बनाई जाती है तथा यह हमेशा अपने उद्देश्यो को प्राप्त करने के लिए कार्यशील रहती है। अपने राष्ट्रीय हितो के उद्देश्यो को प्राप्त करना प्रत्येक राज्य का सार्वभौमिक अधिकार है। प्रत्येक राज्य राष्ट्रीय हितो के आधार पर ही अपने कार्यो को उचित ठहराने का प्रयत्न करता है। प्रत्येक राज्य का व्यवहार भी हमेशा इसके राष्ट्रीय हितो द्वारा संचालित होता है।

मॉरगन थाऊ के शब्दो में, "यह केवल राजनीतिक आवश्यकता ही नही, बल्कि प्रत्येक राष्ट्र का नैतिक कर्तव्य भी है कि एक दूसरे राज्यो के साथ व्यवहार के समय, एक ही मार्ग दर्शक, एक ही विचार स्तर, एक ही कार्य करने के नियम - 'राष्ट्रीय हित' को अपनाए।

राष्ट्रीय हितो का छः भागो में वर्गीकरण

प्रत्येक राष्ट्र जिन हितो को प्राप्त करना चाहता है उनके बारे में और अधिक स्पष्ट

होने के लिए थामस डब्लू रॉबिनसन ने राष्ट्रीय हितों का छः भागों में वर्गीकरण किया है।

(1) **प्राथमिक हित** :- ये वे हित हैं जिन पर कोई भी राष्ट्र समझौता नहीं कर सकता। इसमें प्रत्येक राष्ट्र द्वारा सम्भावित अतिक्रमण के विरुद्ध अपनी भौतिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक विशिष्टता को बनाए रखना शामिल है।

(2) **दूसरे दर्जे के हित** :- ये भले ही प्राथमिक हितों से कम महत्वपूर्ण होते हैं तथापि ये राष्ट्र के अस्तित्व के लिए बहुत अनिवार्य होते हैं। इनमें विदेशों में बसे नागरिकों की सुरक्षा तथा कूटनैतिक स्टाफ के लिए सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है।

(3) **स्थायी हित** - इनका अर्थ है राज्य के सापेक्ष दीर्घकालिन अपरिवर्तनीय हित इनमें परिवर्तन बड़े धीमे होते हैं। एक राष्ट्र द्वारा अपने प्रभाव क्षेत्र को बनाए रखना तथा सभी सागरों में अपनी जहाजरानी की स्वतन्त्रता को बनाए रखना स्थायी हित का उदाहरण है।

(4) **परिवर्तनशील हित** - इसका अर्थ राष्ट्र के वे हित हैं जो विशेष परिस्थितियों में राष्ट्र की भलाई के लिए अनिवार्य समझे जाते हैं।

Scanned by CamScanner

Date:
Page:

(5) राष्ट्र के सामान्य हित :- ये वे सकारात्मक हित है जो बहुत से राष्ट्रों पर लागू होते है। या बहुत सारे विशिष्ट क्षेत्रों जैसे, अर्थव्यवस्था, व्यापार, आदि लागू होते है

(6) विशिष्ट हित :- ये हित सामान्य हित की तर्क संगत उपवाद होते है तथा इन्हे समय के अनुसार परिभाषित किया जाता है।

राष्ट्रीय हित के अभिवृद्धि के साधन

राष्ट्रीय हित और संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है संघर्ष एवम प्रतियोगिता की स्थिति मुख्यत: इस लिए बनी रहती है कि प्रत्येक राज्य अपने राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि के लिए प्रयत्न शील रहता है। और उसके लिए ये प्रयास दूसरे राष्ट्रो के राष्ट्रीय हितो की अभिवृद्धि के प्रयासो से टकराते है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीती राजनिति का इतिहास बतलाता है कि अपने राष्ट्रीय हित की वृद्धि के लिए प्राय: अनेक उपकरणो का उपयोग करना है। अपनी सामर्थ्य और योग्यता तथा अवसर की अनुकूलता आदि के आधार पर प्रत्येक राष्ट्र यह तय करता है कि उसे किस उपकरण को किस राज्य के साथ कब अपनाना चाहिए जैसे :-

(1) कूटनीति
(2) प्रचार एव राजनीतिक युद्ध
(3) राष्ट्रीय नीति के आर्थिक साधन
(4) साम्राज्यवाद एवम उपनिवेशवाद

Scanned by CamScanner

Date ______
Page ______

(5) राष्ट्रीय नीति के साधन के रूप में युद्ध।

(1) कूटनीति :- युद्ध एवं शान्तिकाल में कूटनीति राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि का प्रमुख साधन है इसका मुख्य कार्य निम्नलिखित है।

(a) मित्र राष्ट्रो के साथ संबंधो को मजबूत बनाना और
(b) राष्ट्र हितो की रक्षा
(c) राष्ट्र की अखण्डता की रक्षा।
(d) मित्रो से संबंध बनाना और शत्रुओ को तटस्थ करना
(e) विरोधी शक्तियो के गठबंधन को रोकना।

(2) प्रचार एव राजनीतिक युद्ध :- राजनीतिक युद्ध के विभिन्न साधनो को समय और परिस्थिती परिस्थिति के अनुसार अपनाया जाता है। इस दिशा मे कुछ प्रमुख साधन इस प्रकार है।

(a) विरोधी पक्षो मे फूट डालना
(b) विरोधी पक्षो को आतंकित करना

(3) राष्ट्रीय नीति के आर्थिक साधन :- प्रत्येक देश अपने राष्ट्रीय हित को ध्यान मे रख कर अपनी घरेलू आर्थिक नीतियो पर प्रतिबंधो तथा आवश्यकताओ तथा स्वतन्त्रताओ की व्यवस्था करता है।

(4) साम्राज्यवाद एव उपनिवेशवाद :- आर्थिक

Scanned by CamScanner

साम्राज्यवाद के राष्ट्रीय हितों में वृद्धि इस प्रकार होती है।

(a) आर्थिक लाभ :
(b) शक्ति निर्माण
(c) अविकसित देशों का कल्याण

Scanned by CamScanner

UNIVERSITY ROLL NO- 180105127194
REGISTRATION NO- KU1722344
CLASS ROLL NO- 220
NAME - SUNNY KUMAR.

Date ______
Page ______

CC-12

Q भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें ?

उत्तर:- प्रत्येक संविधान की अपनी विशेषताएं होती हैं जिन्हें देखकर उसकी संपूर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी हो सकती है। यही बात भारत के संविधान के बारे में कही जा सकती है, जो "हम भारत के लोगों" ने भारत के लोगों के लिए बनाया है। इस विशेषता को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है।

(1) ~~उपयोग~~- उपयोजनशीलता :- संविधान निर्माता अपने देश की आवश्यकताओं, लोगों की आकांक्षाओं तथा समकालीन परिस्थितियों से अवगत थे। अतः उन्होंने अन्य देशों के संविधानों की उन व्यवस्थाओं व संस्थाओं को लिया जो अपने देश के लिए उपयुक्त व उपयोगी हो सकती थी। उदाहरण के लिए, ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया तो सर्वोच्च कोर्ट न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था अमरीका से ली गई।

(2) निर्मित व लिखित संविधान :- हमारा संविधान लंबे विकास की देन नहीं है जैसा हम ब्रिटिश संविधान के बारे में देखते हैं। संविधान सभा ने इसे बनाया है जिसमें कुल 389 सदस्य थे। किंतु देश के विभाजन के बाद उनकी

Scanned by CamScanner

Date
Page

संख्या कम हुई थी। इसमे लगभग 3 वर्ष का समय लगा।

③ प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र

इसमे भारत को प्रभुता संपन्न राज्य बना दिया अब भारत किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं थे। इसने लोकतान्त्रिक समाजवाद को मान्यता दी है जिसका रूप इंग्लैण्ड के फेबियनवाद से मिलता जुलता है। भारत में अनेक धर्म व मत है अतः सभी को समान महत्व दिया गया है।

④ संसदीय शासन प्रणाली - भारत मे संसदीय शासन प्रणाली है इसलिए राष्ट्रपति को राज्याध्यक्ष बनाया गया है जिसकी सत्ता नाममात्र है। वास्तविक सत्ता मन्त्रि परिषद के पास है जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री है जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है।

⑤ एकीकृत न्यायपालिका - संघीय व्यवस्था मे केन्द्र व प्रान्तों के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है ताकि दोनो सरकारे अपने अपने क्षेत्रो मे काम कर सके। प्रान्तो मे अपनी न्यायपालिका होती है लेकिन भारत मे सर्वोच्च न्यायालय को शिखर पर अभा रखा गया है। राज्यो के उच्च न्यायलय उसके नीचे है।

⑥ मौलिक अधिकार और कर्तव्य - संविधान के तीसरे भाग मे मौलिक अधिकारो की विस्तृत सूची दी गयी है। ये अधिकार छः प्रकार के है जैसे —

Scanned by CamScanner

(a) समानता का अधिकार
(b) स्वतंत्रता का अधिकार
(c) शोषण के विरुद्ध अधिकार
(d) धर्म का अधिकार
(e) सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकार
(f) संवैधानिक उपचारों का अधिकार

Q2 मौलिक अधिकार क्या है। इसके विभिन्न रूपों की चर्चा करें?

उत्तर :- मौलिक अधिकार वे अधिकार है जिनका उल्लंघन नहीं करने का राज्य का दायित्व होता है। साधारणतः अधिकार को तो संसद द्वारा सरल तरीके से बदले जा सकते है पर मौलिक अधिकार में परिवर्तन के लिए संविधान मे संशोधन करना आवश्यक होता है। शासन के सभी अंगों की शक्ति मौलिक अधिकारों से सीमित रहती है। यह अधिकार वास्तव मे राज्य के विरुद्ध नागरिकों के अधिकार है।

(1) समानता का अधिकार :- मौलिक अधिकारों मे नागरिकों को राजनीतिक, नागरिक एवं सामाजिक समानता दी गई है पर आर्थिक समानता नहीं।
(a) कानून के समक्ष समानता
(b) सभी प्रकार के भेदभाव का अंत
(c) सार्वजनिक नौकरियों मे अवसर की समानता
(d) अस्पृश्यता का अंत
(e) उपाधियों की समाप्ति
(f)

(2) स्वतन्त्रता का अधिकार :- धारा 19 के अनुसार व्यक्तिगत स्वतन्त्रता का अधिकार सभी प्रकार के अधिकारों का मूल अधिकार है। इसमें छः प्रकार के स्वतन्त्रताओं का उल्लेख किया जाता है।

(a) भाषण व अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता

(b) शांति पूर्ण बिना हथियार के सभा करने की स्वतन्त्रता

(c) संघ और संस्था बनाने की स्वतन्त्रता

(d) भारत के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतन्त्रता।

(e) भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतन्त्रता।

(f) कोई भी कारोबार करने की स्वतन्त्रता।

(3) शोषण के विरुद्ध अधिकार :- धारा 23 के अनुसार बेगार अथवा अन्य प्रकार के जबरदस्ती किसी से काम करवाने को दण्डनीय अपराध माना गया है। मानव व्यापार का अर्थ है मनुष्य की खरीद बिक्री - स्त्रियों से अनैतिक कार्य कराना, बच्चों को विकलांग बनाकर भीख मंगवाना आदि।

(4) धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार :- संविधान द्वारा धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है इन धाराओं द्वारा धार्मिक अल्पसंख्यकों को पूर्ण रूप से संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है।

(1) अन्तःकरण की स्वतन्त्रता।

(2) धार्मिक मामलों के प्रबंध करने की स्वतन्त्रता।

Scanned by CamScanner

(ग) धार्मिक व्यय पर कर की छूट
(घ) राजकीय शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध

(8) **सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक अधिकार** — धारा 29 के अनुसार नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है। यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि "किसी राजकीय या राजकीय सहायता से संचालित शिक्षण संस्था में प्रवेश के लिए मूलवंश, जाति, धर्म, और भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।"

(9) **संवैधानिक उपचारों का अधिकार** — इस धारा के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाया गया है। व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित वैसे सभी कानून और कार्यपालिका द्वारा किये गए वैसे सभी कार्य न्यायपालिका द्वारा अवैध घोषित किये जा सकते जिनसे मौलिक अधिकार का हनन होता है।

Q.3 राष्ट्रपति की नियुक्ति किस प्रकार होती है। इसके शांतिकालीन और आपातकालीन अधिकारों की विवेचना करें।

उत्तर:- भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ राष्ट्रपति

Scanned by CamScanner

को दी गई है पर वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद के माध्यम से इन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति करता है। वह पाँच वर्ष के लिए चुना जाता है। राष्ट्रपति पद के लिए सीधा निर्वाचन जनता द्वारा नहीं होता है। इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन आम आदमी नहीं बल्कि निर्वाचित विधायक और सांसद करते हैं। यह निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है। केवल संसद ही राष्ट्रपति को महाभियोग से हटा सकता है। महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन करने पर लगाया जाता है। निर्वाचन के लिए प्रत्येक योग्य मतदाताओं के मत का मूल्य निकाला जाता है जो समान नहीं होता। राज्य की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य निकालने के लिए उस राज्य की कुल जनसंख्या में राज्य विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग दिया जाता है फिर शेषफल को 1000 से भाग दिया जाता है।

राष्ट्रपति की आपातकाल अधिकार :-

भारत के संविधान द्वारा इंडियन प्रेसिडेंट को तीन प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई है।

(i) राष्ट्रीय आपात - अनुच्छेद 352
(ii) राष्ट्रीय शासन - अनुच्छेद - 356
(iii) वित्तीय आपात - अनुच्छेद - 360

Date ______
Page ______

~~राष्ट्री~~ राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों मे राष्ट्रपति शासन भी मुख्य है इसे निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है।

(a) वित्तीय साख या वित्तीय स्थिरता के खतरे की स्थिति मे इसे लगाया जा सकता है।

(b) राज्यों को धन विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित किया जा सकता है।

(c) सरकारी कर्मचारी का वेतन कम किया जा सकता है।

(d) इस आपातकाल ~~पा~~ पावर का उपयोग राष्ट्रपति युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के स्थिति मे होता है।

(e) उपर्युक्त स्थिति की आशंका के आधार पर ~~इ~~ Emergency की घोषणा की जा सकती है।

(f) इसे घोषित किये जाने के लिए केबिनेट की लिखित अनुमोदन किया जाना आवश्यक है।

राष्ट्रपति के शांति काल के कार्य

भारत के राष्ट्रपति के शांति काल के कार्य निम्न लिखित है :—

Scanned by CamScanner

अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है तथा कार्यपालिका की शक्तियाँ भी उनके हाथों में होती है।

(I) प्रशासनिक शक्ति
(II) नियुक्ति संबंधी अधिकार
(III) सैन्य शक्ति
(IV) राजनीतिक शक्ति
(V) विधायी शक्ति
(VI) संसद का सत्र आहूत करना सत्रवसान विघटन
(VII) आरंभिक भाषण
(VIII) सदनों में सदस्यों को नामित करने का अधिकार
(IX) विधायक के लिए पूर्व मंजूरी
(X) विधेयक कानूनी रूप
(XI) अध्यादेश जारी करने का अधिकार

Scanned by CamScanner

UNIVERSITY ROLL NO — 18010512 7194
REGISTRATION NO — KU1722344
CLASS ROLL NO — 220
NAME — SUNNY KUMAR

Date ______
Page ______

CC-13 (DSC 1A)

Q1 अंतर्राष्ट्रीय कानून का उद्भव और विकास का सविस्तार वर्णन करें ?

उत्तर :- अंतर्राष्ट्रीय कानून की उत्पत्ति कब हुई परन्तु इतिहास के अध्ययन से यह अवश्य पता चलता है। प्राचीन काल में भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों का किसी न किसी रूप में पालन किया जाता है। वैसे तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1780 में जेरमी बेन्थम ने किया था। परंतु यह कहना भूल होगी कि इसका चलन बेन्थम से हुआ है। वास्तव में अन्तर्राष्ट्रीय कानून की धारणा के पीछे निरन्तर चलने वाला इतिहास है। प्रसिद्ध काबेट का कहा है कि मनुष्य कई हजार वर्ष पहले ही समूह में रहने लगा था ये समूह व अपनी विशिष्ट सामाजिक व्यवस्था रखते थे और अन्य समूह के साथ अपना सम्पर्क रखते रखते हुए कुछ निश्चित नियम का पालन करते थे। हालैंड ने भी प्राचीन काल के स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच पारस्परिक संबंधों के विषय में तीन बातों को स्वीकार किया है।

(i) राजदूतों के विशेषाधिकार
(ii) संधियां
(iii) युद्ध की घोषणा तथा संज्ञान संबंधी नियम।

अन्तर्राष्ट्रीय कानून का विकास

लॉरेन्स ने अन्तर्राष्ट्रीय कानून के विकास को तीन युगों में विभाजित किया है।

प्रथम युग - मानव इतिहास के प्रारम्भ से रोमन साम्राज्य की स्थापना तक।

दूसरा युग - रोमन साम्राज्य से 16वी शताब्दी के धार्मिक आन्दोलन

तीसरा युग - धार्मिक सुधार आन्दोलन से आधुनिक काल तक।

मध्य पूर्व के प्राचीन राज्य - चौथी शताब्दी ई० पू० से मध्य पूर्व के राज्यों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार के कुछ प्रमाण मिले हैं।

यूनानी विचारधारा - यूनान में नगर राज्यों के जन्म से ही राष्ट्रों के नियमों का निर्माण होना आरम्भ हो गया था ये सब एक सामान्य जाति, भाषा तथा परम्परा पर आधारित थे। इन्होंने आपसी सबंधो को नियमित करने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता महसूस की। इन नगर राज्यों में एक सामान्य हितों का समुदाय विकसित हो चुका था। यह लक्षण अन्तर्राष्ट्रीय कानून के किसी न किसी रूप में जन्म देने के लिए पर्याप्त था।

Scanned by CamScanner

आधुनिक युग :-

लॉरेन्स ने कहा कि आधुनिक युग में हम वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय कानून मिलता है जिसका आधार यह सिद्धांत है कि राज्य एक बड़े समाज के पृथक और स्वतंत्र सदस्य हैं। यद्यपि वे किसी उच्च सत्ता द्वारा नियंत्रित नहीं किये जा सकते फिर भी वे स्वेच्छाचारी नहीं हैं बल्कि व्यवहार के ऐसे नियमों से शासित हैं जो सब सदस्यों पर बाधित है।

यूरोप के तीस वर्षीय युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अभाव तथा इसकी आवश्यकता को तीव्रता से अनुभव कराया। अमेरिका की खोज के कारण अनेक अंतर्राष्ट्रीय विवाद उत्पन्न हुए। फ्रांस इंग्लैंड आदि अनेक राष्ट्रों के उदय के साथ अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनेक समस्या उठी। अनेक विचारकों ने इस समस्या का विचार करना आरम्भ किया।

विक्टोरिया ने रेड इंडियन के संबंधों में अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता के सिद्धांत को लागू किया। उसने यह सिद्धांत भी स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया कि विश्व के राष्ट्रों का एक समुदाय है। जो प्राकृतिक और सामाजिक सह-सम्बन्ध पर आधारित है।

अतः उपरोक्त बातों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास हर युग में हुआ।

Scanned by CamScanner

Date ____
Page ____

Q2 प्रत्यर्पण से आप क्या समझते हैं? इसकी आवश्यकताएं बताए। इसके लिए 2 क्या आवश्यक शर्ते है भारत में प्रत्यर्पण संधि की विशेषताए बताए?

उत्तर:- जब कोई व्यक्ति अपराध करके किसी दूसरे राज्य में भाग जाता है तब पहले देश की प्रार्थना पर दूसरे राज्य द्वारा अपराधी व्यक्ति का समर्पण प्रत्यर्पण कहलाता है। विभिन्न विधिशास्त्रियों ने प्रत्यर्पण की परिभाषा दी है जो कि इस प्रकार है।

ओपेनहाइम के अनुसार – यह एक राज्य दूसरे राज्य को ऐसे व्यक्ति का अर्पण करना है जो पहले राज्य के प्रदेश में विद्यमान था परन्तु जिस पर यह आरोप था कि उसने दूसरे राज्य के प्रदेश में अपराध किया है या दूसरे राज्य के प्रदेश के बाहर अपराध करने पर भी वह इसका प्रजाजन होने के नाते इस देश के अनुसार इस राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है।

स्टार्क के अनुसार – जिस राज्य में अभियुक्त शरण लेता है उस राज्य द्वारा जिस राज्य में उसने अपराध किया है उसी प्रार्थना पर उसे सौंप देने का कार्य ही प्रत्यर्पण कहलाता है।

फेनविक के मतानुसार – यह समर्पण पहले राज्य की प्रार्थना पर और उन परिस्थितियों या दशाओं के अनुसार होता है जो कि सामान्य स्वीकृतियों से एक समझौते के रूप में वर्तमान है।

Scanned by CamScanner

उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि :

(1) प्रत्यर्पण से तात्पर्य अपराधी को लौटाने से है।

(2) अपराधी को उस राज्य में लौटाया जाता है जहां उसने अपराध किया है।

(3) प्रत्यर्पण के यह आवश्यक है कि उसके लिए प्रार्थना की गई हो।

प्रत्यर्पण की आवश्यकता

अपराधी को दण्ड देने की इच्छा :- सभी राज्यों में प्राय: यह इच्छा पाई जाती है कि अपराधी को उसके अपराध के लिए दण्डित किया जाए और यदि उसे कोई अपराध करके दूसरे राज्य में भागा जाता है तो उसे उस देश वापिस लाकर अभियोग चलाया जाए

अपराध स्थानीय राज्य ही उचित रूप से अभियोग चलाया जा सकता है।

जिस राज्य में उसने अपराध किया है वही राज्य उचित रूप से अभियोग चला करके कार्यवाही स्थापित कर सकता है। क्योंकि वही के अपराधी के विरुद्ध साक्ष्य उपलब्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए सुच्चा सिंह का मामला है। वह पंजाब के cm प्रताप सिंह कैरों की हत्या करके जनवरी 1965 में

नेपाल भाग गया था। भारत पुलिस ने उसे नेपाल मे पकड़ लिया था और नेपाल सरकार से उसे भारत को लौटाने की प्रार्थना की जिससे की वध और उसके अपराध के मामले में उचित रूप से विचार हो सके। नेपाल राज्य के न्यायालय ने इस प्रश्न पर विचार करके सुच्चा सिंह को भारत को सौंप दिया।

अपराधों पर रोक

यदि कोई व्यक्ति अपराध करके दूसरे देश में भाग जाता है और वह वहां शरण प्राप्त करके अपने अपराध की सजा से बच जाता है तो इससे अपराधों में वृद्धि होगी जो कि अमानवीय है इसलिए प्रत्यर्पण से अपराधी भयभीत रहते हैं और इस प्रकार अपराधी पर रोक लगाते हैं।

प्रत्यर्पण से सबंधित कठिनाई

प्रत्यर्पण से संबंधित प्रमुख रूप से दो कठिनाई है जिसके कारण इस विषय पर एक समान नियम के विकास मे बाधा पड़ती है।

(1) विभिन्न देशों द्वारा ग्रहण की गई अपराध की परिभाषाओं में अंतर।

(2) प्रत्यर्पण सम्बंधी प्रक्रिया का ऐसे व्यक्ति को पकड़ने के संबंध मे उपयोग करने की सम्भावना जो कि वास्तव मे सामान्य अपराध के लिए न होकर राजनीतिक अपराध के लिए हो।

Q3 हस्तक्षेप क्या है? यह कितने प्रकार का होता है। हस्तक्षेप के क्या कारण हैं। किन दशाओं में हस्तक्षेप को वैध माना जाता है?

उत्तर- प्रत्येक राज्य को यह अधिकार है कि वह अपने मामलों में स्वतन्त्रता पूर्वक कार्य करे परन्तु कभी-कभी कोई अन्य राज्य या राज्यों का समूह इसकी कार्यवाहियों में हस्तक्षेप करता है और इसे ऐसा कार्य करने के लिए बाध्य करता है जैसा कि वह स्वयं नहीं करता। इस प्रकार के हस्तक्षेप को कानून की दृष्टि में वास्तविक हस्तक्षेप कहा जाता है। जैसा कि ओपेनहम का कहना है कि हस्तक्षेप एक अधिनायकतात्मक दखल अंदाजी है जो एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के मामलों को पलटने के लिए करता है।

लॉरेन्स ने हस्तक्षेप की परिभाषा देते हुए यह कहा है कि हस्तक्षेप एक राज्य द्वारा अधिनायक के रूप में दूसरे राज्य की स्वतन्त्रता का अतिक्रमण है।

स्टार्क के अनुसार:- अन्तर्राष्ट्रीय कानून किसी दूसरे राज्य की भीतरी मामलों में हस्तक्षेप करने से मना करता है। यहाँ इस हस्तक्षेप का तात्पर्य साधारण दखल देने, मध्यस्थता या राजनीतिक सुझाव से कहीं अधिक बलवान है जहाँ तक निषेध का सम्बन्ध है ~~इसमें~~ इसमें अधिनायकत्व से भरा हस्तक्षेप है। उसका उस राज्य की इच्छाओं के विरुद्ध प्रभाव पड़ता है।

Scanned by CamScanner

हस्तक्षेप के प्रकार :-

स्नाके ने हस्तक्षेप के चार प्रकारों का वर्णन किया है ये प्रकार निम्नलिखित है :-

① कूटनीतिक हस्तक्षेप :- जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों पर राजनीतिक दबाव डालता है और संधि की शर्तों को जबरदस्ती पूरा कराता है तो यह कूटनीति हस्तक्षेप कहलाता है। उदाहरणार्थ 1895 में रूस जर्मनी और फ्रांस ने जापान पर दबाव डालकर उसे विवश किया कि शिमोनोसेकी की संधि द्वारा उसे दिया गया लिआओ तुंग का प्रायद्वीप चीन को लौटा दे।

② आन्तरिक हस्तक्षेप :- यह हस्तक्षेप किसी राज्य के गृह-युद्ध संघर्ष आदि में किसी एक पक्ष की सहायता प्रदान करता है।

③ बाह्य हस्तक्षेप :- यह दो राज्यों के युद्ध में किसी एक के विरुद्ध प्रयोग किया गया हस्तक्षेप है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन और जर्मनी के युद्ध में 1940 में इटली ने जर्मनी और से इस युद्ध में भाग लिया।

④ दण्डात्मक हस्तक्षेप :- जब एक राज्य दूसरे राज्य द्वारा हानि पहुंचाए जाने पर या संधि का उल्लंघन करने पर बदला लेने के लिये इसके विरुद्ध

युद्ध के अतिरिक्त अन्य हिंसात्मक कार्य करता है तो वह हिंसात्मक हस्तक्षेप कहलाता है। जैसे कोई राज्य किसी अन्य राज्य को संधि का पालन करने के लिए बाध्य करता है तथा परिवेष्ठन करता है तो इस अवस्था में यह हिंसात्मक हस्तक्षेप कहलाता है।

हस्तक्षेप के कारण

हस्तक्षेप के मुख्यतः दो कारण हो सकते हैं

(a) किसी एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य पर संधि का उल्लंघन करने पर उसे दंड देने का प्रयास

(b) एक अधिनायकतत्व के रूप में दूसरे राज्य के व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करके उसे उस कार्य के लिये बाध्य करना।

यद्यपि हम जानते हैं कि हर राज्य को अपने व्यक्तिगत सरकार और जनता पर उनकी भलाई के लिए नियम और कानून बनाना अनिवार्य है। परंतु जब यह कानून जनता के विरुद्ध उनके मौलिक अधिकारों के विरुद्ध ही कार्य करें तो एक ~~साथ~~ शक्तिशाली राज्य द्वारा उस राज्य की आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप वैध माना जाता है क्योंकि वह जनता की ~~भा~~ भलाई के लिए होता है।

Scanned by CamScanner

UNIVERSITY ROLL NO – 18010512719 4
REGISTRATION NO – KU17223445
CLASS ROLL NO – 220
NAME – SUNNY KUMAR

(DSE 2A) (CC-14)

Q1 संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना और कार्यों का वर्णन करें।

उत्तर :- संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ऐसे समय में हुई जब द्वितीय महायुद्ध अपने भीषणतम रूप में सारे विश्व को आतंकित कर रहा था। जर्मनी, इटली और जापान के धुरी राष्ट्रों की सम्मिलित शक्ति का सामना करने में ब्रिटेन अमरीका तथा अन्य मित्र राष्ट्र की सारी शक्ति लगी हुई थी। यह युद्ध केवल कुछ राष्ट्रों की प्रतिष्ठा के लिए ही नहीं लड़ा जा रहा था। धुरी राष्ट्रों की बढ़ी हुई सैनिक शक्ति वास्तव में प्रजातंत्र और मानव अधिकारों के लिए संकट का संकेत कर रही थी। इस युद्ध में यदि धुरी राष्ट्र की विजय होती तो निश्चय ही समस्त विश्व पर उसका व्यापक प्रभाव पड़ता और संभव है स्वाधीनता और प्रजातंत्र के उच्च आदर्शों को भारी आघात पहुँचता।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने सेन फ्रांसिस्को नगर में 1 Jan 1942 को ब्रिटेन, सोवियत संघ, चीन, तथा अन्य 26 मित्र राष्ट्रों के प्रतिनिधि प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें यह निर्णय हुआ कि ये राष्ट्र सम्मिलित होकर धुरी राष्ट्रों का सामना करेंगे। इस संगठन को संयुक्त राष्ट्र तथा यूनाइटेड नेशन्स का नाम दिया गया।

Scanned by CamScanner

1 June 1945 को और चलकर सैनफ्रांसिस्को मे संयुक्त राष्ट्र को घोषणा पत्र पर सम्मेलन हुआ तो इसके सदस्यों की संख्या 50 हो चुकी थी। इस सम्मेलन मे संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया गया और संयुक्त राष्ट्र की औपचारिक स्थापना इसके अस्थायी मुख्यालय लेक सेकसेस मे हुई। अधिकार -पत्र पर 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधि द्वारा 26 June 1945 को हस्ताक्षर किये गये। 24 Oct प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप मे मनाया जाता है। 1946 से संयुक्त राष्ट्र का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क मे है और इसके सदस्यों की सं० 189 हो चुकी है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य -

संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के विकास मे अनेक कार्य किये है जो कि इस प्रकार है।

1. अनेक राजनीतिक विवादो को निपटाने मे।
2. UNO ने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमरीका के विकासशील देशो की स्थिति सुधारने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
3. विश्व भर मे बच्चो, विकलांगो और नेत्रहीनो के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो भी कुछ कर रहा है उस सबसे छुपा नही है।
4. UNO ने ऐसी बीमारियो का नामोनिशान

मिटा दिया जिससे कई लोग असमय ही काल का ग्रास बन जाते थे।

(5) UNO की बदौलत ही अभी तक मानवता को तृतीय विश्व युद्ध की शक्ल देखने को नहीं मिला।

(6) जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में - संयुक्त राष्ट्र संघ ने कई बार हमारे उत्पन्न होने वाले संकटों को युद्ध में परिणत होने से बचाया है।

(7) संयुक्त राष्ट्र संघ के बिना हम आधुनिक युग की कल्पना भी नहीं कर सकते।

(8) यह भावी पीढ़ी की सुरक्षा की गारंटी एवं विश्व-संघर्षों को रोकने का सेफ्टी बल्ब है।

Q2. संयुक्त राष्ट्र के पुर्नसंरचना के बारे में अपने विचारों को प्रस्तुत करें?

उत्तर :- संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय मंच के केंद्र में अपने पहले 25 वर्षों तक रहा। हर बार संयुक्त राष्ट्र के सामने एक नया संकट पैदा हुआ जिसका समाधान खोजने में दुनिया ने अग्रणी भूमिका निभायी। 1960 तक और बाद में 1970 के दशक में अधिकांश राज्यों ने प्रभावी कार्रवाई के लिए अब संयुक्त राष्ट्र की ओर नहीं देखा

महाशक्तियो मे सभी महत्वपूर्ण द्विपक्षीय मुद्दो पर बातचीत कर संयुक्त राष्ट्र के निर्माण का पुर्नगठन की और कदम रखा

बदलती विश्व राजनीति :- 1945 मे सं० रा० संघ की स्थापना के समय केवल 51 राष्ट्र ही सदस्य थे। प्रारम्भ मे इसकी सदस्यता केवल यूरोपीय देशो तक सीमित थी किंतु आज इसके 189 सदस्य है। जिनमे करीब 132 राष्ट्र तीसरी दुनिया के है। अर्थात संख्यात्मक शक्ति के हिसाब से तीसरी दुनिया के विकासशील देश दो तिहाई से अधिक है। इससे यह सच्चे अर्थो मे विश्वव्यापी संगठन बना है। हालांकि अब भी इसमे बड़ी शक्तियो का बोल बाला रहा है। फिर भी तीसरी दुनिया के देशो को अपनी संख्यात्मक शक्ति के आधार पर मतदान मे विजय नैतिक प्रभाव जरूर छोड़ती है,

दूसरा परिवर्तन :- पहले संयुक्त राष्ट्र संघ राजनीतिक एवं सुरक्षा से सम्बंध उद्देश्य की प्राप्ति पर अधिक जोर देता था। क्योंकि विभिन्न राष्ट्रो के मध्य सीमा युद्ध, आपसी अविश्वास एवं तनाव अत्यधिक रहता था। इन संदर्भो मे तनाव कम होने पर अब यह संगठनो राष्ट्रो मे आपसी आर्थिक सहयोग, विकास, टेक्नोलाजी एवं विज्ञान के कार्यक्रम पर अपेक्षाकृत अधिक बल दे रहा है।

Date
Page

आज संयुक्त राष्ट्र संघ की 80% गतिविधिया सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं से संबध है।

नवीन चुनौतिया :- द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद की प्रारंभिक एवं अब की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मे कई आधारभूत परिवर्तन हुए है। अब शीत-युद्ध समाप्त हो चुका है। किन्तु उदीयमान नई विश्व-व्यवस्था मे अमेरिका दादागिरी एवं धौंस का खतरा बढ़ गया है। सोवियत संघ के अवसान के बाद अमरीका और अन्य परियमी शक्तियो के लिए शीत युद्ध भले ही खत्म हो गया है।

महाशक्तियो के द्वन्द्व :- संयुक्त राष्ट्र संघ को विश्व संस्था के रूप मे अधिक प्रभावकारी बनाने के लिए विभिन्न विद्वानो ने भिन्न भिन्न सुझाव दिये है। इनमे सदस्यता प्रावधान, वीटो अधिकार, स्वतंत्र वित्त व्यवस्थाओ तथा संघ के संगठनात्मक ढांचे मे परिवर्तन के सुझाव प्रमुख है। यह सब एक मुश्त सुधार एक झटके मे करना तो सम्भव नही है और न ही व्यवहारिक।

वित्तीय सहायता का मुद्दा :- अमेरिका जो अभी तक संयुक्त राष्ट्र संघ को बहुत उदारतापूर्वक वित्तीय सहायता देता रहा है। अब अपने कदम पीछे हटाने लगा है। वर्तमान मे संयुक्त राष्ट्र सचिवालय पर प्रतिवर्ष होने वाले कुल 1.2 अरब डॉलर के खर्च मे से एक चौथाई भाग अमेरिका ही देता है।

Scanned by CamScanner

Date ______
Page ______

Q3 संक्षिप्त टिप्पणी करे
(i) ~~UNO~~ WHO (ii) UESCO (iii) UNICEF
(iv) EU (v) OPEC (vi) G-8

उत्तर WHO — WHO का पूरा नाम World Health organisation है। स्वास्थ्य संबंधी कार्यो को संपादित करने के लिए स्थापित किये गये इस संगठन की नींव 19 Jun 1946 को संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा न्यूयार्क मे आयोजित एक सम्मेलन मे पड़ी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओ पर स्थापित इस विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान की रचना मे 64 देशो के प्रतिनिधियो ने भाग लिया 7 अप्रैल 1948 को इस संगठन की स्थापना हुई।
इस संगठन मे अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, पूर्वी भूमध्य सागर तथा पश्चिमी महासागर के क्षेत्रों मे स्थित है। WHO का काम सहायता, सलाह, व सहयोग देना है न कि एक सर्वोपरि राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन की तरह करना।

UNESCO — UNESCO का पूरा नाम United nation the educational, scientific and culture and organisation. वर्तमान समय 2019 मे आर्थिक और सामाजिक परिषद की सदस्य सं 54 हो गयी है। यह एक स्थायी संस्था है जिसके एक तिहाई सदस्य प्रति वर्ष पदमुक्त होते रहते है। इस प्रकार इसके प्रत्येक सदस्य की कार्यावधि 3 वर्ष होती है। परंतु अवकाश ग्रहण करने वाले

Scanned by CamScanner

सदस्य पुनः निर्वाचित हो सकता है। परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का ही प्रतिनिधि होता है। यद्यपि आर्थिक और सामाजिक परिषद हेतु कोई सदस्यता का उपबन्ध नहीं है। तथापि व्यवहार में तथाकथित पाँच बड़े सदस्य निर्वाचित हो जाते हैं।

आर्थिक और सामाजिक परिषद हर साल ~~5 सप्ताह~~ सप्ताह का एक महत्वपूर्ण सत्र आयोजित करती है। इस सत्रों का आयोजन बारी-बारी से न्यूयार्क और जेनेवा में किया जाता है।

UNICEF :- UNICEF का पूर्ण नाम युनाईटेड नेशन्स चिल्ड्रेन्स फंड है। इसकी स्थापना का आरंभिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में नष्ट हुए राष्ट्रों के बच्चों को खाना और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना था। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र की महासभा में 11 Dec 1946 को की थी। 1953 में Unicef संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थाई सदस्य बन गया। उस समय इसका नाम यूनाईटेड नेशन्स इंटरनेशनल चिल्ड्रेन्स फंड की जगह :- United nations Childrens fund कर दिया गया। इसका मुख्यालय न्यूयार्क राम जगत द्वारा निर्मित में है। वर्तमान में इसके मुखिया ऐन वेनेमन है। यूनीसेफ को 1965 में उसके बेहतर कार्य के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके 120 से अधिक शहरों में कार्यालय है।

EU — European union 28 देशों का एक समूह है, जो विश्व अर्थव्यवस्था में एक आर्थिक इकाई के रूप में कार्य करता है। यूरोपीय यूनियन यूरोपीय देशों की राजनैतिक व आर्थिक संगठन है। इसका विकास विभिन्न स्तरों पर हुआ है। अर्थात यूरोपीय संघ की स्थापना किसी एक संधि या समझौते पर नहीं बल्कि विभिन्न संधियों और उनके संशोधन के बाद हुई। इस विकास में पेरिस की संधि 1951, रोम की संधि 1957, मास्ट्रिच की संधि 1993, लिस्बन की संधि 2009 का महत्वपूर्ण योगदान है।
इस संघ की साझी मुद्रा यूरो है जिन्हें यूनियन के केवल 17 सदस्यों ने ही अपनाया है।

OPEC — यूरोप में तेल संगठन OPEC
Organisation of Petroleum Exporting Countries की स्थापना 1960 में बगदाद में हुआ। इसके कुल सदस्य 13 थे। उसका मुख्यालय वियना आस्ट्रिया में था। इनका उद्देश्य पेट्रोलियम निर्यात करने वाले देशों के हितों का संरक्षण और नीति निर्धारण करना।
विश्व अर्थव्यवस्था या तेल कीमतों में बदलाव, जिसके परिणाम स्वरूप के लिए तेल संकट Dec 1960 OPEC की स्थापना यूरोप की में की गई थी। OPEC तेल कीमतों को नियंत्रित करने के लिए प्रमुख संगठन बन गया है।

G-8 → अमीर और औद्योगिक बाजार वाले राष्ट्रों के समूह से बना और इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में की गई।
G-8 के सम्मेलन में तेल-उत्पादन देशों द्वारा विकासशील देशों के प्रति नरम रवैया अपनाने की अपील की गई। सम्मेलन में गुआना, श्रीलंका और लाइबेरिया को मिलाकर एक अध्ययन गुट बनाया गया, जो तेल उत्पादक देशों के एक संगठन के साथ परस्पर सह सहयोग और तालमेल द्वारा समस्याओं को सुलझाने के लिए विचार विमर्श करेगा।

इस प्रकार पश्चिमी के संकट में तेल को हथियार बनाने पर जो प्रारंभिक सफलता मिली उससे अरब राष्ट्रों के मनोबल के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई।

Scanned by CamScanner